भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1266</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

<u>पैन-आधार को आपस में जोड़ना</u>

1266. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डेटा का आपस में मिलान नहीं होने के कारण पैन नंबर के साथ आधार पर प्रमाणीकरण असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को डेटा के आपस में मिलान संबंधी मानदंडो में ढील देने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के पैन-आधार मिलान की विफलता दर्शाने वाले मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार को कितनी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आधार को पैन से जोड़ने के लिए डेटा का मिलान करने की शक्ति रखने वाले अधिकारियों की प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें पैन नम्बर के साथ आधार कार्ड का अभिप्रमाणीकरण नहीं हो पाया था क्योंकि करदाता के पैन डाटा और आधार डाटा की मूल बातों (जैसे कि व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं मोबाइल नं. आदि) में मेल नहीं था।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 139कक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य करती है कि जिसे 01 जुलाई, 2017 तक पैन आबंटित किया गया है, वह अपने आधार संख्या के संबंध में सूचित करे ताकि आधार एवं पैन को एक दूसरे से लिंक किया जा सके। ऐसा अधिसूचित तारीख तक अथवा उस से पहले किया जाना अपेक्षित है। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यह धारा केंद्र सरकार को यह भी अधिसूचित करने की शक्तियां प्रदान करती है की यह प्रावधान किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों के वर्गों अथवा किसी राज्य अथवा किसी राज्य के किसी भाग पर लागू नहीं होगा।

अतः लिंक किये जाने वाले नियमों में छूट देने के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सरकार द्वारा किसी निर्देश को जारी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अगर यह बेमेल आधार कार्ड ब्यौरे के कारण हैं तो करदाता, 70 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों सहित, संबंधित प्राधिकारी अपने आधार ब्यौरे में सुधार करवा सकते हैं। जहां भी पैन कार्ड के संबंध में बेमेलता अथवा कठिनाई ध्यान में लायी जाती है वहां कार्रवाई की जाती है और करदाता को समाधान उपलब्ध करवाया जाता है।

(घ) आधार पैन लिंक करने के लिए करदाताओं की प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	पैन के साथ आधार लिंक करने से संबंधित शिकायतों की संख्या
2021-22	5681
2022-23	5180

चूंकि आधार-पैन लिंक करने की प्रक्रिया ऑटोमेटेड है जोकि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार आधारित सत्यापन के प्रयोग के माध्यम से पूरी की जाती है; और इस प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इस विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है।

*****